

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

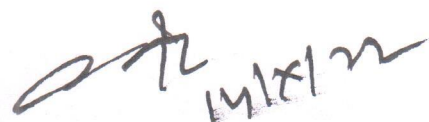
क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला पाली के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तरीय समिति के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. श्री टीकाराम जूली	मंत्री	अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री)
2. श्रीमती सुनिता कंवर, गांव-सुकरलाई, तह.रोहट, पाली	प्रधान, पं.स. रोहट	सदस्य
3. श्री मंगलाराम देवासी, मारवाड जंक्शन	प्रधान, पं.स. मारवाड जंक्शन	सदस्य
4. श्रीमती मोहनी देवी पटेल, पाली	प्रधान, पं.स. पाली	सदस्य
5. श्री भोमाराम मीणा (एसटी), ग्राम-दुजाणा, तह. सुमेरपुर, पाली		सदस्य
6. श्री रूस्तम खां/मिस्त्री रसीद खां, बडा बास जैतारण, पाली		सदस्य
7. श्रीमती वंदना कुमारी पत्नी श्री लक्ष्मण पवार, ग्राम रूपनगर, मु. पो. खिवाडा, तह रानी, जिला पाली		सदस्य
8. श्री बशुरुदीन पुत्र श्री फकरुदीन चढवा, केनपुरा रोड़, छोटी रानी, जिला पाली		सदस्य
9. श्रीमती जयश्री रांगी पत्नी श्री अशोक रांगी, केशव नगर पाली		सदस्य
10. श्री जीवराज चौहान, एडवोकेट, टैगोर नगर, पाली		सदस्य
11. श्री प्रकाश सांखला पुत्र श्री बबताराम, 14, शक्ति नगर पाली		सदस्य
12. श्री जोगाराम सोलंकी, 874, गांधी नगर, पाली		सदस्य
13. श्री अमराराम पटेल, मु.पो.-रूपावास, पाली		सदस्य
14. श्री इब्राहिम सिलावट, ग्राम खण्डेराव, तह. सुमेरपुर, पाली		सदस्य
15. श्री दिलीप सिंह रावत, पूर्व सरपंच, कोटकिराणा तह. रायपुर, पाली		सदस्य
16. श्री छोटु सिंह राजपुरोहित, धर्मवीर मैदान के पास, रानी स्टेशन, पाली		सदस्य
17. श्रीमती रजिया बानो पत्नी श्री यासिन खान, ग्राम कोसेलाव, तह. सुमेरपुर, पाली		सदस्य



18. श्री शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, निम्बाडा	सदस्य
19. श्री भूराराम सीरवी, बूसी	सदस्य
20. श्री दिलीप चौधरी, जैतारण	सदस्य
21. श्री जसाराम राठौड, मारवाड जंक्शन	सदस्य
22. श्री महावीर सिंह राजपुरोहित, पाली	सदस्य
23. सुश्री रंजू रामावत, सुमेरपुर	सदस्य
24. श्री भेरूसिंह राजपुरोहित, नाडोल	सदस्य
25. श्री मोहन हटेला, पाली	सदस्य
26. श्रीमती शोभा सोलंकी, गुढा एन्दला	सदस्य
27. श्री मनीष पालरीया, सोजत	सदस्य
38. श्री खेतसिंह मडेतिya, बोलागुडा	सदस्य
39. श्री देवीदास चन्दनानी (मोटू भाई), पाली	सदस्य
40. श्री केवलचन्द गुलेच्छा, पाली	सदस्य
41. संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
42. जिला प्रमुख	सदस्य
43. अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं प्रशासक	सदस्य
44. अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
45. मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	सदस्य
46. जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
47. मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:-

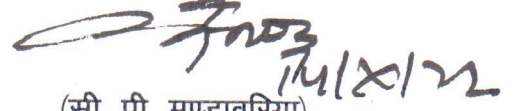
1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।



4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

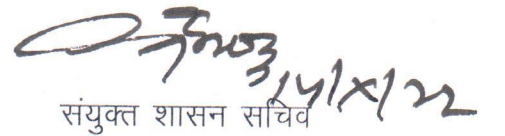
इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

आज्ञा से,


(सी. पी. मण्डावरिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
12. जिला कलेक्टर, पाली को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
13. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
15. विशेषाधिकारी, माननीय उपाध्यक्ष, बीसूका।
16. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग को अ. शा. टीप क्रमांक प. 7(20)प्र.सु. /अनु0-3/ 82 पार्ट, दिनांक 30.09.2022 के संदर्भ में।
17. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

नोट:- समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।